

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 में नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
ब इजलास श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)

अनवान

अश्वीन बनाम् जगदीपसिंह

दावा बाबत—88 188 राज. काश्त. अधिनियम

मुकदमा नं.—94 / 2016

जीसीएमएस नं.—2016 / 00118

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान बहाजरी वादी एवं प्रतिवादीगण बरूए राजीनामा / डिक्री स्वीकार किया जाकर—

चक 6 के (बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—5 पत्थर नं.—157 / 14 का किला नं.—20 / 3 का 0.126, 21 / 1 का 0.203, 22 / 1 का 0.228, 23 / 1 का 0.228, 24 / 1 का 0.228 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.013 हैक्टर कृषि भूमि मुताबिक राजीनामा वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार अनूपगढ़ को दिये जाते हैं। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27/03/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4.रुपये पर प्लीडर की फीस	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका का तामील		7. आदेशिका का तामील	
जोड़		जोड़	

